पत्रांक– 686 / 33–3–2013–69 / 2013

प्रेषक,

माजिद अली,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र , कासगंज एवं उन्नाव।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 01 मार्च, 2013

विषय–पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना प्रबन्ध इकाई का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एम0यू0, बी0आर0जी0एफ0 के पत्र संख्या–137 / 33–पी0एम0यू0 / 2009 दिनांक 27 मई, 2009 से बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत क्षमता विकास हेतु पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबन्ध इकाई का गठन किया गया है।

सम्यक विचारोंपरान्त उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक दिनांक 24.12.2012 तथा दिनांक 06.02.2013 में लिए गए निर्णय के क्रम में जिला परियोजना प्रबन्ध इकाई के संगठन को आंशिक रूप से निम्नवत् संशोधित करते हुए उसे क्षमता विकास व प्रशिक्षण के साथ–साथ विकास अनुदान से सम्बन्धित कार्यों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का दायित्व भी सौंपा जाता है:–

(1)	जिलाधिकारी	: अध्यक्ष
(2)	मुख्य विकास अधिकारी	: उपाध्यक्ष
(3)	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	: सदस्य–सचिव
(4)	जिला पंचायतराज अधिकारी	: सदस्य
(5)	वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत	: सदस्य
(6)	अभियन्ता, जिला पंचायत	: सदस्य
(7)	लोक निर्माण विभाग का अधीक्षण अभियन्ता / अधिशाषी अभियन्ता	: सदस्य
(8)	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग का अधिशाषी अभियन्ता	: सदस्य
(9)	जल निगम का अधिशाषी अभियन्ता	: सदस्य
(10)	कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि	: सदस्य